न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः 28–02–2020

1. अपील संख्या 264/17
(आरसीएमएस संख्या 2017/00129)

1. ओमप्रकाश पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 266/17
(आरसीएमएस संख्या 2017/00114)

1. ओमप्रकाश पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 30–11–2016 व आदेश दिनांक 20–02–2017**
**उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़**

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

Scanned with CamScanner

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 30–11–2016 व आदेश दिनांक 20–02–2017 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को करते हुए अपीलांट को अन्य भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि बाबत् अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 में तहसील छत्तरगढ़ के चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पेश किया गया था व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 1 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/5 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 30–11–2016 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उनके द्वारा आवेदित भूमि चक 1 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/5 की भूमि पौंग बांध हेतु आरक्षित होने व उक्त भूमि बतौर विशेष आवंटन आवंटित नहीं किये जाने के कारण अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुॅचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट के पक्ष में उनके द्वारा आवेदित भूमि चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा भूमि के स्थान पर बिना आवेदन दिये ही चक 3 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 166/43 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि के आवंटन की मांग अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। अदालत मातहत द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 1 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/5 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उक्त भूमि पौंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित होने के कारण विशेष आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 30–11–2016 को किया जा चुका है तथा उक्त आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार उक्त आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।

उन्होनें आगे बताया कि जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट को आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट को उनके द्वारा आवेदित भूमि की एवज में अन्य भूमि का आवंटन अदालत मातहत द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवेदन पर तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–11–2016 व आदेश दिनांक 20–02–2017 के विरूद्व अपील 26–07–2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं हितबद्व पक्षकारों को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में ओमप्रकाश पुत्र नूनराम जाति मेघवाल द्वारा चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 26–12–2007 को उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त करने के करीब 10 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा तत्पश्चात् अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 30–11–2016 को उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। उक्त आवंटन से पूर्व अन्य आवेदकों को विशेष आवंटन व दरें प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पत्र जोकि चक 1 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/5 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया था, उक्त भूमि पौंग बांध हेतु आरक्षित होने के कारण आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्ष में किया गया है।

पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे साबित होता हो कि आवेदित मुरब्बा गजट में नोटिफाईड हो, यदि नोटिफाईड हो तो उसके विशेष आवंटन बाबत् सूचना जारी की गई हो, सूचना के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हो, आवेदकों को विशेष आवंटन के कार्यक्रम की जानकारी दी गई हो तथा विशेष आवंटन हेतु दरें प्राप्त की जाकर आवंटन सलाहकार समिति से प्रस्ताव अनुमोदित करवाया गया हो। आवंटन अधिकारी ने एक ही दिन 30–11–2016 को प्रकरण सुनवाई हेतु लेकर महेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया।

आवंटन अधिकारी की उक्त कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रकिया का उल्लंधन करते हुए एवं मनमाना तरीके से की गई है। इस प्रकिया में महेन्द्र सिंह के अतिरिक्त अन्य पात्र लोगों को जानबूझकर वंचित करने के लिए मिथ्या कार्यवाही लिखी गई व अपीलांट को उक्त भूमि के आवंटन के अवसर से वंचित करने व राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी का यह निर्णय पुष्टी योग्य नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट को उसके द्वारा आवेदित भूमि चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 189/12 की 25 बीघा भूमि की एवज में अन्य भूमि चक 3 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 166/43 की 25 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट स्वयं का कथन है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

कि उनके द्वारा अन्यत्र भूमि आवंटन का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत के उक्त कृत्य से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उनके द्वारा द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन को सुरक्षित करते हुए अपीलांट को अन्यत्र भूमि का आवंटन किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 30–11–2016 तथा 20–02–2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विशेष आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पुनः आवंटन की कार्यवाही करें।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 17:56:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: